

कृषि मंत्रालय
मांग संख्या 3

पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	1081.45	106.28	1187.73	919.50	105.70	1025.20	1288.50	98.70	1387.20	
	पूंजी	18.55	...	18.55	10.50	...	10.50	11.50	...	11.50	
	जोड़	1100.00	106.28	1206.28	930.00	105.70	1035.70	1300.00	98.70	1398.70	
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	6.00	10.00	16.00	6.00	14.78	20.78	5.80	13.50	19.30
	पशु पालन										
2.	पशु-विकास	3601	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.50	...	0.50
	2403	123.22	12.69	135.91	129.48	13.28	142.76	144.18	12.54	156.72	
	जोड़	124.22	12.69	136.91	129.49	13.28	142.77	144.68	12.54	157.22	
3.	पशु चिकित्सा सेवाएं और										
	पशु स्वास्थ्य										
	3.01 कार्यक्रम संघटक	3601	113.75	...	113.75	103.19	...	103.19	179.97	...	179.97
	3602	0.92	...	0.92	0.31	...	0.31	1.20	...	1.20	
	2403	180.32	...	180.32	65.56	...	65.56	167.83	...	167.83	
	4403	10.05	...	10.05	3.20	...	3.20	2.00	...	2.00	
	जोड़	305.04	...	305.04	172.26	...	172.26	351.00	...	351.00	
	3.02 विदेशी सहायता प्राप्त	2403	22.71	...	22.71	49.31	...	49.31	
	परियोजना										
	जोड़- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	305.04	...	305.04	194.97	...	194.97	400.31	...	400.31	
4.	पशु गणना	2403	4.62	...	4.62	0.13	...	0.13	0.45	...	0.45
	3601	15.79	...	15.79	20.37	...	20.37	15.66	...	15.66	
	3602	0.20	...	0.20	
	जोड़	20.61	...	20.61	20.50	...	20.50	16.11	...	16.11	
5.	दाना और चारा विकास	3601	6.50	...	6.50	8.50	...	8.50	19.13	...	19.13
	2403	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31	25.30	3.54	28.84	
	जोड़	6.81	...	6.81	8.81	...	8.81	44.43	3.54	47.97	
6.	कुक्कुट विकास	3601	34.96	...	34.96	
	2403	22.43	7.71	30.14	
	जोड़	57.39	7.71	65.10	
7.	भेड़ और ऊन विकास	3601	9.22	...	9.22	
	2403	32.75	7.30	40.05	
	जोड़	41.97	7.30	49.27	
8.	माँस का प्रसंस्करण	3601	4.00	...	4.00	
	2403	41.64	...	41.64	
	जोड़	45.64	...	45.64	
9.	अन्य कार्यक्रम	3601	28.17	...	28.17	20.64	...	20.64	5.29	...	5.29
	3602	0.36	...	0.36	0.02	...	0.02	0.10	...	0.10	
	2403	66.55	19.86	86.41	68.33	25.85	94.18	3.69	1.53	5.22	
	जोड़	95.08	19.86	114.94	88.99	25.85	114.84	9.08	1.53	10.61	
	जोड़-पशु पालन	551.76	32.55	584.31	442.76	39.13	481.89	759.61	32.62	792.23	
	डेरी विकास										
10.	सहकारी समितियों की सहायता	2404	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	7.22	...	7.22
11.	डैयरी वेंचर पूंजी निधि	2404	33.01	...	33.01	15.01	...	15.01	28.22	...	28.22
12.	दिल्ली दुग्ध योजना										
	12.01 राजस्व व्यय	2404	...	393.37	393.37	...	311.29	311.29	...	371.40	371.40
	12.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0404	...	-377.22	-377.22	...	-295.14	-295.14	...	-362.40	-362.40
	निवल	...	16.15	16.15	...	16.15	16.15	...	9.00	9.00	
	12.03 पूंजी व्यय	4404	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	1.00	
	जोड़	1.00	16.15	17.15	1.00	16.15	17.15	1.00	9.00	10.00	
13.	डैयरी विकास										
	परियोजना										
	13.01 स्वच्छ दूध सहित										
	गहन डेरी विकासकार्यक्रम	3601	23.04	...	23.04	23.79	...	23.79	20.00	...	20.00
	3602	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	
	2404	22.99	...	22.99	25.99	...	25.99	19.61	...	19.61	
	जोड़	46.53	...	46.53	50.03	...	50.03	40.11	...	40.11	
	जोड़-डेरी विकास	88.54	16.15	104.69	74.04	16.15	90.19	76.55	9.00	85.55	

सं.3 / पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

मात्स्यिकी	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14. समुद्री मात्स्यिकी	3601	52.00	...	52.00	52.00	...	52.00	65.18	...	65.18
	3602	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	6.00	...	6.00
	2405	5.50	...	5.50	6.50	...	6.50	20.80	...	20.80
	जोड़	59.50	...	59.50	60.50	...	60.50	91.98	...	91.98
15. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी	3601	40.30	...	40.30	44.38	...	44.38	21.25	...	21.25
	3602	1.05	...	1.05	3.55	...	3.55	0.20	...	0.20
	2405	7.75	...	7.75	8.87	...	8.87	3.50	...	3.50
	जोड़	49.10	...	49.10	56.80	...	56.80	24.95	...	24.95
16. मत्स्य पालन संस्थाओं को सहायता										
16.01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज	2405	0.10	2.18	2.28	0.10	2.30	2.40	0.10	3.00	3.10
16.02 राष्ट्रीय मात्स्यिकी हार्वेस्ट पश्च प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान	2405	1.50	4.72	6.22	1.65	5.03	6.68	1.50	5.00	6.50
	4405	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50
	जोड़	2.00	4.72	6.72	1.95	5.03	6.98	2.00	5.00	7.00
16.03 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	2405	33.50	10.11	43.61	33.50	10.06	43.56	30.09	10.00	40.09
	4405	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	जोड़	38.50	10.11	48.61	37.50	10.06	47.56	35.09	10.00	45.09
16.04 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग	2405	5.00	8.66	13.66	3.85	9.14	12.99	4.30	8.20	12.50
	4405	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
	जोड़	7.00	8.66	15.66	5.85	9.14	14.99	7.30	8.20	15.50
जोड़-मत्स्यपालन संस्थानों को सहायता		47.60	25.67	73.27	45.40	26.53	71.93	44.49	26.20	70.69
17. अन्य मात्स्यिकी कार्यक्रम	2405	...	3.41	3.41	...	4.11	4.11	...	3.88	3.88
18. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	2405	120.00	...	120.00	85.00	...	85.00	80.35	...	80.35
19. पाकिस्तान द्वारा जब्त मत्स्य नावों का स्थानापन्न पैकेज	2405	...	18.50	18.50	...	5.00	5.00	...	13.50	13.50
		276.20	47.58	323.78	247.70	35.64	283.34	241.77	43.58	285.35
जोड़ मत्स्य पालन										
20. आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज	2403	69.38	...	69.38	69.38	...	69.38	84.02	...	84.02
	2404	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	4.35	...	4.35
	3601	5.38	...	5.38	5.38	...	5.38	7.48	...	7.48
	जोड़	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	95.85	...	95.85
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	102.50	...	102.50	84.50	...	84.50	120.42	...	120.42
कुल जोड़		1100.00	106.28	1206.28	930.00	105.70	1035.70	1300.00	98.70	1398.70
ग. आयोजना परिव्यय -	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़
1. पशु पालन	12403	626.76	...	626.76	517.76	...	517.76	855.46	...	855.46
2. मात्स्यिकी	12405	276.20	...	276.20	247.70	...	247.70	241.77	...	241.77
3. डेरी विकास	12404	88.54	...	88.54	74.04	...	74.04	76.55	...	76.55
4. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.80	...	5.80
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	102.50	...	102.50	84.50	...	84.50	120.42	...	120.42
जोड़		1100.00	...	1100.00	930.00	...	930.00	1300.00	...	1300.00

1. इसमें पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग के सचिवालय, मुख्यालय में नेटवर्क-आधारित सूचना प्रणाली के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह प्रावधान पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना और केंद्रीय पशु विकास संगठनों, जिसमें सात केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय प्रशिक्षित दीर्घ उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और देश में विभिन्न केंद्रों में अवस्थित पशु-समूह पंजीकरण (हर्ड रजिस्ट्रेशन) संगठन और पशु बीमा शामिल हैं, के लिए किया गया है।

3. यह प्रावधान पशुधन स्वास्थ्य, जिसमें पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता की योजना, पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना, व्यावसायिक दक्षता विकास (जिसके अधीन भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है) और

पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय, जिसमें पशु संगरोध प्रमाणीकरण, केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय पशु-चिकित्सा जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र संस्थान, पशुबीमा और एविअन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम शामिल हैं, के लिए है। और तीन नई योजनाओं (अर्थात् मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय कीटनाशी नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशुरोग सूचना प्रणाली। खाद्य सुरक्षा और अनुमार्गनीयता और एविअन इन्फ्लूएंजा पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए विदेशी सहायता प्राप्त योजना।

4. यह प्रावधान पशुगणना के संचालन संबंधी व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान चारा विकास योजना के लिए है जिसमें राज्यों को दाना और चारा विकास में उनके प्रयासों के संपूरण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रावधान चारा उत्पादन और प्रदर्शन के क्षेत्रीय स्टेशन केन्द्रीय

सं.3 / पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

चारा बीज उत्पादन फार्म और चारा फसलों पर मिनीकट परीक्षण के लिए भी किया गया है।

6. यह प्रावधान कुक्कुट विकास संगठन ग्रामीण नैकयार्ड कुक्कुट विकास, कुक्कुट सम्पदा की स्थापना, पॉल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और कुक्कुट उद्योगों को वित्तीय राहत हेतु सब्सिडी के लिए है।

7. यह प्रावधान जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों के एकीकृत विकास, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म और पशुओं की लुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए है।

8. यह प्रावधान नर भैंसों के बचाव और पालन-पोषण, मरे जानवरों के उपयोग, ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना और आधुनिकीकरण और पशुओं संबंधी विस्तार और सुपुर्दगी सेवाओं के लिए है।

9. यह प्रावधान एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और शूकर विकास के लिए है।

10. इस योजना का लक्ष्य जिला स्तर की रुग्ण डेरी सहकारी यूनियनों, तथा राज्य स्तर के सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ 50 : 50 के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

11. यह प्रावधान डेयरी वेंचर कैपिटल फंड के लिए किया गया है।

12.01 और 12.02. यह प्रावधान आयोजना-भिन्न के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। प्रारंभिक तौर पर इस व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजट प्रावधान से पूरा किया जाता है तथा बाद में उसी को दूध, घी आदि की बिक्री से राजस्व प्राप्ति के रूप में वापस प्राप्त किया जाता है।

12.03 इस योजना में दिल्ली दुग्ध योजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

13. इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के विकास, दूध की अधिप्राप्ति/प्रसंस्करण/विपणन के लिए तकनीकी निविष्टि सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान गहन डेयरी विकास कार्यक्रम योजना में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु है।

14. इस मद के अंतर्गत समुद्री मछलीपालन विकास, अवसंरचना और हार्वेस्ट-पश्च कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों और मछुआरों के कल्याण के लिए प्रावधान रखा गया है।

15. इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन और मात्स्यिकी विकास, मछुवारों, मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और डाटाबेस और सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

16. इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित मात्स्यिकी संस्थानों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

17. आयोजना-भिन्न के अंतर्गत यह प्रावधान मत्स्य पालन प्राधिकरण, चेन्नई तथा दो विभागीय कैंटीनों (आई.एफ.पी. एवं सी.आई.एफ.एन.ई.टी.) स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इस प्रावधान में पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य आयोग तथा अन्य के लिए भारत का अंशदान भी शामिल है।

18. यह प्रावधान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए है।

19. यह प्रावधान पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लिए गए मात्स्यिकी जलयानों के प्रतिस्थापन पैकेज के लिए है।

20. इसमें देश के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं, बछड़ों के पालन कार्यक्रम, मवेशी/भैंस प्रजनन और दाना एवं चारा पूर्ति कार्यक्रम के प्रचालन के लिए व्यवस्था करने हेतु विशेष पैकेज का प्रावधान है।

21. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।